न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 06 / 2015 / प्रार्थना पत्र 6ए

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, सीकर

प्रार्थी

बनाम

1 अब्दुल सत्तार पुत्र हाजी हसन तेली निवासी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
2 सांवरमल माली अ.खु.वि.,वार्ड नम्बर 5 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
3 शंकरलाल अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ हाल आबाद लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

अप्रार्थी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसीएक्ट 1955 के तहत

निर्णय **दिनांकः–30.12.2019**

प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, सीकर की ओर से एक आवेदन अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन का संक्षेप सार इस प्रकार है कि दिनांक 23.03.2004 को मुखवीर से प्राप्त सूचना के आधार पर मै जिला रसद अधिकारी सीकर मय प्रवर्तन स्टॉफ भागीरथ प्रसाद खटीक, प्रवर्तन अधिकारी सीकर, श्री बाबूलाल, प्रवर्तन निरीक्षक लक्ष्मणगढ के साथ नेशनल हाईवे नं. 11 लक्ष्मणगढ फतेहपुर रोड़ पर श्री अब्दूल सत्तार तेली पुत्र श्री हाजी हसन तेली के प्लॉट पर आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पर 10 ड्रम केरोसिन तेल के भरे हुए रखे पाये। जिनको जांच करने पर सफेद केरोसिन तेल होना पाया। उपस्थित सभी व्यक्तियों ने इसे सफेद केरोसिन होना स्वीकार किया। श्री अब्दुल सत्तार तेली से पूछताछ करने पर यह केरोसिन तेल अपना नहीं होना बताया, साथ ही किसका है इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। नीला केरोसिन तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण हेतु उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। जबकि सफेद केरोसिन तेल समानान्तरण व्यापार पद्धति के अन्तर्गत वैध लाईसेंसधारी द्वारा विक्रय किया जाता है। श्री अब्दुल सत्तार ने बयान दिये है कि उक्त प्लॉट श्री सांवरमल माली, अ.खु.वि. वार्ड नं. 5 लक्ष्मणगढ की साख पर श्री शंकरलाल अग्रवाल निवासी हनुमानगढ को 2000 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से किराये पर दे रखा है। मौके पर शंकरलाल उपस्थित नहीं मिला। उक्त केरोसिन तेल निला केरोसिन तेल को सफेद रंग के केरोसिन तेल में बदलकर बेचने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके मध्यनजर अधिकृत खुदरा विक्रेता श्री सांवरमल माली का अलग से निरीक्षण किया गया है। कोई भी व्यक्ति बिना वैध अनुज्ञा पत्र के 200 लीटर से अधिक मात्रा में सफेद केरोसिन तेल संग्रहण नहीं कर सकता। मौके पर श्री अब्दुल सत्तार से पूछने पर बताया कि इस बारे मे अनुज्ञा पत्र एवं खरीद का कोई बिल नहीं है। उक्त 2200 लीटर सफेद केरोसिन तेल अवैध कारोबार के अन्तर्गत मानते हुए वजह सबूत मय दस ड्रम जप्त सरकार किया गया तथा श्री संतोष कुमार मोदी अ.खु.वि. वार्ड नं. 25 लक्ष्मणगढ की सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर ही उक्त 2200 लीटर केरोसिन तेल मे से 3 सेम्पल कांच की बोतलों मे लिये गये। उक्त 2200 लीटर सफेद केरोसिन तेल बिना वैध अनुज्ञा पत्र के कय विकय हेतु संग्रह राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) ओदश 1980 के क्लॉज 3 के अन्तर्गत दोषी होने के कारण ई.सी.एक्ट

की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त जब्त शुदा 2200 लीटर सफेद केरोसिन तेल मय 10 ड्रम राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रिजस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका रिपोर्ट में अंकित किया हुआ है कि श्री सांवरमल माली उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नम्बर 5 लक्ष्मणगढ़ की जांच की। उसके पश्चात् श्री अब्दुल सत्तार तेली के प्लाट पर पहुंचे। श्री अब्दुल सत्तार को घर से बुलवाया और प्लाट को खुलवाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पर पाया कि दस ड्रमों में सफेद केरोसिन भरा हुआ है। ड्रमों के ढ़क्कन खोलकर देखा गया तो प्रत्येक ड्रम में 220 लीटर सफेद केरोसिन भरा हुआ पाया गया। इस प्रकार दस ड्रमों में कुल 2200 लीटर सफेद केरोसिन मिला। सफेद केरोसिनि को जांच हेतु तीन बोतलों में 750–750 एम.एल. सेम्पल लिया गया। सेम्पल की एक बोतल सुरक्षित रखने के लिए श्री अब्दुल सत्तार मकान मालिक को संभलायी जाती है। केरोसिन के बारे में श्री अब्दुल सत्तार से पुछने पर बताया कि केरोसिन का कोई बिल, अनुज्ञापत्र उनके पास नहीं है। श्री अब्दुल सत्तार ने बताया कि यह केरोसिन मेरा नहीं है। यह केरोसिन किस का है मुझे पता नहीं है। मौके पर केरोसिन का अनुज्ञापत्र नहीं होने, खरीद का बिल नहीं होने एवं किसी के मालिक नहीं बनने के कारण दस ड्रमों में 2200 लीटर केरोसिन मय दस ड्रमों के जब्त सरकार किया जाता है और यह दस ड्रम मय 2200 लीटर केरोसिन श्री संतोष कुमार मोदी पुत्र राधेश्याम मोदी अधिकृत खुदरा विक्रेता वार्ड नम्बर 25 लक्ष्मणगढ़ की सुपुर्दगी में दिया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन करने पर अप्रार्थी की और से उक्त सफेद केरोसिन तेल का खरीद बिल व अनुज्ञापत्र नहीं होने एवं उक्त केरोसिन तेल का मालिक होने के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है। चूंकि सफेद केरोसिन ज्वलनशील पदार्थ है। अतः ज्वलनशीन पदार्थ से हादसा होने की आशंका को देखते हुए इसका अन्तरिम निस्तारण किया जाना उचित एवं अति आवश्यक प्रतीत होता है। अतः जिला रसद अधिकारी, सीकर को लिखा जावे कि उक्त उक्त जब्त शुदा सफेद केरोसिन तेल मात्रा 2200/– लीटर मय 10 ड्रम का अन्तरिम निस्तारण नियमानुसार किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/12/19

(जय प्रकाश)
अति० जिला कलक्टर, सीकर